Shahid Ullah (28)

Ann-2(6)

I 8358

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 025877

21 SEP 2006

S. P. SHARMA
HAPUR

B3196

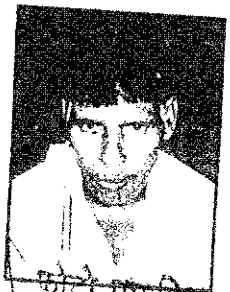

फोटो प्रमाणित

विक्रय विलेख प्लाट

क्षेत्र —
बैनामा अंकन — 4,72,500/-
सरकारी कीमत — 4,72,500/-
स्टाम्प शुल्क — 37,840/-
आ. वि. शुल्क — 9,460/-
कुल — 47,300/- [अंकन 20,000/- रुपये का स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्री इकरारनामा दिनांक 17-07-2006 दस्तावेज नम्बर 6049 को एवं शेष, अंकन 27,300/- रुपये का स्टाम्प शुल्क आज अदा किया गया है।

हम कि शाहिदुल्ला पुत्र श्री वहीदुल्ला निवासी 1275, मण्डा पट्टी हापुड परगना व तहसील हापुड जिला गाजियाबाद अन्तरणकर्ता. (विक्रेता) व

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

025878

23 SEP 2006

S. P. SHARMA
HAPUR

2

सामिया इन्टरनेशनल बिल्डर्स प्रा. लि. बी-98 अबुल फजल अपार्टमेन्ट 22, वसुन्धरा एन्कलेव, दिल्ली 110096 द्वारा अधिकृत मैनेजर मनोज मणि चतुर्वेदी पुत्र श्री यू. एस. चतुर्वेदी निवासी बी-1/64, कमर्शियल काम्पलैक्स सैक्टर - 50, नोएडा अन्तरिति (क्रेता) ।

विदित हो कि एक नग प्लाट जिसका पूर्ण विवरण अगले खण्ड में दिया गया है, जिसका अन्तरणकर्ता मालिक स्वामी काबिज व हस्तान्तरण करने का पूर्ण अधिकारी है जो कि आज दिन तक हर प्रकार के भार से मुक्त है तथा विवाद रहित है, बैंक लोन व जमानत सरकारी व गैर सरकारी आदि-आदि से पाक साफ है कोई वैधानिक या अवैधानिक आपत्ति प्लाट को विक्रय करने में नहीं है अब अन्तरणकर्ता

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

025879

27 SEP 2006
S. P. SHARMA
HAPUR

ने अपने निम्न प्लाट को विक्रय करना तय किया है कि जिसको अन्तरिति अन्तरणकर्ता को उचित बाजार मूल्य देकर खरीद रहे है निम्न प्लाट का अब सर्व अधिकार व स्वत्व हर प्रकार भूतल बर्ताव भूमि करने आबादी बनाने मकान आदि रखनें निवास आवागमन मार्ग, प्रकाश, वायु, पानी, परनाला आदि आदि को स्वेच्छा प्रसन्नता व स्वस्थ्य मनोवृत्ति की दशा में बिना दबाव बदले अंकन **4,72,500/-** रुपये आधे जिसके **2,36,250/-** रुपये होते है, हाय अन्तरिति के हक में पूर्ण प्रकार से विक्रय किया, उक्त कुल मूल्य मे से **1,50,000/-** रुपये रजिस्ट्री इकरारनामा व शेष **3,22,500/-** रुपये पेशगी प्राप्त करके विक्रीत भूमि पर अन्तरिति महोदय को अपने समान मालिक, स्वामी व काबिज करा दिया, अधिकार का परिवर्तन हो गया है, अब अन्तरणकर्ता व वारिसान अन्तरणकर्ता का विक्रय प्लाट में कोई हक व हिस्सा शेष नही बचा है

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

18 SEP 2006

B. P. SHARMA
HAPUR

026234

4

और ना ही उसके मूल्य के सम्बन्ध में साथ अन्तरिति कोई वाद-विवाद किसी प्रकार का शेष नहीं रहा है और न ही भविष्य में माना व समझा जायेगा फिर भी विक्रीत भूमि यदि किसी के वाद-विवाद के कारण कुल या जुज भाग विक्रय भूमि अन्तरिति के अधिकार एवं कब्जे से निकल जावे या अपना अधिकार सुरक्षित रखने के कारण अन्तरिति को कुछ और रुपया देना पड़े या विक्रीत भूमि किसी प्रकार के आड बय लोन आदि से ग्रस्त पायी जाती है या अन्तरणकर्ता इस विक्रय को करने के अधिकारी सिद्ध न हो तो ऐसी प्रत्येक दशा में अन्तरिति को अधिकार रहेगा कि वह प्लाट का बाजार मूल्य या वह रुपया जो कि उसको और देना पड़ा हो, मय हर्जा-खर्चा व ब्याज दर कानूनी सहित नियमानुसार अन्तरणकर्ता व वारिसान अन्तरणकर्ता की चल-अचल सम्पत्ति से जिस प्रकार चाहे वसूल कर ले, अन्तरणकर्ता को कोई विरोध नहीं होगा, अन्तरिति प्लाट में अपनी तामीर के द्वार, जंगले, मोरी, नाली, परनाले, झाँप आदि-आदि रास्ते की ओर को रखेगा, अन्य किसी ओर को नहीं रखेगा, अन्तरिति अपनी इच्छानुसार प्लाट में एक मंजिला व बहुमंजिला निर्माण करावे इसमें अन्तरणकर्ता को कोई आपत्ति नहीं होगी, भारतीय

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

026235

18 SEP 2006

HAPUR

स्टाम्प अधिनियम की धारा 27 (1) के अन्तर्गत ऐसे सभी तथ्य तथा परिस्थितियाँ जो स्टाम्प देयता को प्रभावित कर सकते है को लेखपत्र मे सत्यतापूर्वक अंकित कर दिये गये है, कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है।

<u>विवरण</u> <u>भूमि</u> <u>विक्रीत</u> <u>:-</u> स्थित मौहल्ला मोती कालोनी हापुड परगना तहसील हापुड जिला गाजियाबाद मे एक नग प्लाट कुल क्षेत्रफल 350 वर्गगज यानि 292.74 वर्गमीटर है, जिसके पूरब मे प्लाट अन्य पश्चिम मे प्लाट अन्य उत्तर मे रास्ता 15 फुट चौडा व दक्षिण मे खसरा संख्या 1485/1 है, खसरा संख्या 1484/1 मि.

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 000020

है, जो इस लेख द्वारा विक्रय है, स्टाम्प शुल्क 1,350/- रुपये प्रतिवर्गगज के हिसाब से अदा किया गया है, कब्जा मौके पर अन्तरिति को करा दिया गया है। प्लाट पर कोई निर्माण नहीं है। उक्त प्लाट की सीमायें संलग्न नक्शेनुसार है, उक्त

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये

ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000

Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

SUB. TREASURY OFFICER
28 SEP 2006
S. P. SHARMA
HAPUR

B 000083

प्लाट आवासीय प्रयोजन हेतु क्रय किया गया है।

अतः यह लेख विक्रय-पत्र अपनी स्वेच्छा, प्रसन्नता, सद्बुद्धि व चैतन्य मन की अवस्था में बिला दबाव लिख दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे।

खसरा संख्या 1483/1 व 1484/1 व 1484/1 मि. व 1485/1 मि. मे विक्रेता ने अन्य हिस्सेदारो से बाहमी तकसीम कर रखी है, उक्त भूमि क्षेत्रफल 350 वर्गगज विक्रय होने के पश्चात उक्त खसरा संख्या मे विक्रेता का कोई हक व हिस्सा शेष नहीं बचा है और ना ही भविष्य मे माना व समझा जावेगा, उक्त खसरा नम्बरान की बाबत जो विक्रेता के मुकदमे अदालत मे विचाराधीन है वे सब स्वतः ही निरस्त माने व समझे जायेंगे।

477-2(6)

SUB-TREASURY OFFICE
25 SEP 2006
ACCOUNTANT
HAPUR

8

मसविदा स्वयं पक्षगण के कहने पर टाइप किया गया है।

ह. गवाह शाहजहां [illegible] शाहजहां बेगम - [illegible] [illegible]

ह. गवाह जमानुल्ला [illegible] असदुल्ला [illegible] मौ० [illegible] पट्टी [illegible]

ह. गवाह [illegible] नवाब अली [illegible] पट्टी [illegible]

मसौदा : चौ. वीरेन्द्र सिंह, [illegible] तहसील हापुड़
दिनांक : 29-09-2006

अनुज्ञप्ति [illegible]
[illegible]
फीस [illegible]